

Filling no. RCS-A/74/2018

// 1//

सिविल वाद क्रमांक 14 ए/2018

**न्यायालय:-प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय के द्वितीय
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 भिण्ड (म0प्र0)
(समक्ष-ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला)**

Filling no. RCS-A/74/2018

CNR no. MP30010005702018

सिविल वाद क्रमांक 14 ए/2018

संस्थित दिनांक :-23/01/2018

श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी सुरेन्द्र सिंह भदौरिया,
उम्र-45 वर्ष, निवासी-बी0टी0आई0 रोड,
शांति नगर, जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....वादी/आवेदक

//बनाम//

मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद भिण्ड (म0प्र0)

.....प्रतिवादी/अनावेदक

वादी द्वारा अधिवक्ता श्री रज्जन सिंह भदौरिया।
प्रतिवादी द्वारा श्री रूपेश शर्मा अधिवक्ता।

//आदेश//

(आज दिनांक **27.04.2018** को घोषित)

1. इस आदेश से वादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सी0पी0सी0 आई0ए0 नंबर 2/17 का निराकरण किया जा रहा है।
2. इस मामले में वार्ड क्रमांक 11 मोहल्ला शान्ति नगर, भिण्ड स्थित प्लॉट लम्बाई पूरब से पश्चिम 50 फुट व चौड़ाई उत्तर से दक्षिण 20 फुट चतुर्सीमा पूरब में विक्रेता की जगह, पश्चिम में कच्चा रास्ता, उत्तर में पूरन सिंह का प्लॉट एवं दक्षिण में कच्चा रास्ता पर निर्मित मकान (एतस्मिन् पश्चात् **“विवादित मकान”** से निर्दिष्ट) के संबंध में स्वत्व की घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का विवाद है।
3. आवेदन संक्षेप में यह है कि वादी ने वर्ष 2001 में भूखण्ड क्रय कर विवादित मकान का निर्माण कराया, उत्तर की दिशा में स्थित आम रास्ता/गली पर वादी का कोई अतिक्रमण नहीं है और मोहल्ले में बने अन्य लोगों के मकान के अनुसार ही वादी ने भी अपने मकान का निर्माण कराया है। वादी के मोहल्ले के ही किसी व्यक्ति की गलत सूचना पर प्रतिवादी नगर पालिका भिण्ड ने बिना मौके की जाँच कराये वादी को अतिक्रमणी मानते हुए धारा 187 म0प्र0 नगर पालिका अधिनियम का नोटिस

जारी कर दिया है। नोटिस में यह लिखा गया है कि वादी ने रोड पर स्लेब, छज्जा, गेट, जंगला व शौचालय का गड़ढा बनाकर अतिक्रमण किया है जिसे तीन दिन के भीतर हटाया जाये अन्यथा पुलिस बल के सहयोग से हटा दिया जायेगा। वास्तव में वादी ने कोई अतिक्रमण नहीं किया है, बिना मौके पर जाँच के ही प्रतिवादी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर नोटिस जारी की गयी है और उक्त तथ्यों के आधार पर सिविल वाद संस्थित किया गया है। प्रथम दृष्ट्या मामला वादी के पक्ष में है, कथित अतिक्रमण के नाम पर वादी का निर्माण गिरा देने की दशा में वादी को अपूर्णनीय क्षति होगी और अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन स्वीकार कर प्रतिवादी को निषेधित किया जाये कि विवादित मकान में अतिक्रमण के नाम पर कोई कार्यवाही न करें।

4. प्रतिवादीका जवाब संक्षेप में यह है कि वादी ने गली की जगह पर अतिक्रमण करते हुए स्लेब, छज्जा व शौचालय के गड़ढे का निर्माण कराया है जिससे कि आम रास्ते में अवरोध उत्पन्न हुआ है और अवरोध हटाने हेतु विधिवत् नोटिस दी गयी है। अतिक्रमण के संबंध में एस0डी0एम0 भिण्ड के समक्ष धारा 133 दं0प्र0सं0 का प्रकरण भी वादी एवं गुड्डी देवी के बीच चला था जिसमें आदेश दिनांक 29.09.2017 से वादी का अतिक्रमण हटाने का आदेश पारित किया गया है और कार्यवाही हेतु प्रतिवादी को निर्देशित किया गया है। वादी को अतिक्रमण के संबंध में विधिवत् नोटिस दी गयी है, वादी के अधिवक्ता द्वारा प्रेषित नोटिस का जवाब भी दिया गया है और प्रतिवादी द्वारा विधिवत् अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही की जा रही है। वादी के पक्ष में कोई मामला नहीं है, अवैध अतिक्रमण को हटाये जाने से वादी को कोई क्षति भी नहीं होनी है और अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन खारिज किया जाये।

5. आवेदन के निराकरण हेतु विचारणीय बिंदु यह है कि:-

1. क्या प्रथम दृष्ट्या मामला वादी के पक्ष में है ?
2. क्या सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है ?
3. क्या अस्थायी निषेधाज्ञा जारी न किए जाने से वादी को अपूर्णनीय क्षति होना संभाव्य है ?

-: निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के आधार :-

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1 से 3 :-

6. वादी का यह अभिवचन है कि उसके द्वारा किया गया निर्माण कार्य क्रय किये गये भूखण्ड 20 गुणा 50 फीट पर ही किया गया है। वादपत्र के साथ कोई नक्शा या आसपास के लोगों का कोई शपथपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे कि प्रथम दृष्ट्या भी यह प्रकट हो कि वादी का निर्माण कार्य कितने क्षेत्रफल पर किया गया है।

7. वादी के अनुसार प्रतिवादी द्वारा धारा 187 म0प्र0 नगर पालिका अधिनियम के अनुशरण में अतिक्रमण हटाने की नोटिस दी गयी है। प्रतिवादी द्वारा सांविधिक शक्ति

का प्रयोग करते हुए नोटिस जारी की गयी है और वादपत्र में ऐसा कोई अभिवचन भी नहीं है कि वादी ने नोटिस का जवाब सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया हो।

8. प्रतिवादी द्वारा प्रेषित अतिक्रमण हटाने की नोटिस के जवाब में वादी यह कह सकता था कि उसने कोई अतिक्रमण नहीं किया है और वादी सक्षम प्राधिकारी से कथित अतिक्रमण का अवधारण करा सकता था। अतिक्रमण हटाने की विधिवत् नोटिस और सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जा रही कार्यवाही के विरुद्ध निषेधाज्ञा जारी किये जाने के संबंध में वादी के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या मामला भी प्रकट नहीं है।

9. अतिक्रमण का अवधारण नोटिस जारीकर्ता या सक्षम प्राधिकारी के समक्ष जवाब प्रस्तुत करके कराया जा सकता है, व्यथित होने पर वादी वरिष्ठ के समक्ष कार्यवाही कर सकता है, विधिवत् अतिक्रमण हटाये जाने की नोटिस से वादी को कोई अपूर्णनीय क्षति नहीं होती है और सुविधा का संतुलन भी अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने के पक्ष में नहीं है।

10. उक्त सम्पूर्ण विवेचना एवं पूर्वगामी कारणों से अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने हेतु तीनों आवश्यक बिन्दु वादी के पक्ष में नहीं हैं। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अतिक्रमण हटाने की नोटिस के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा का कोई आधार नहीं है, अतः वादी की ओर से प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन आई0ए0 नंबर 2/17 स्वीकारयोग्य न होने से खारिज किया जाता है। इस आदेश का मामले के गुणदोष पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर दंकित किया गया।

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के
द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, वर्ग-2 भिण्ड
(म0प्र0)

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के
द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश वर्ग-2 भिण्ड
(म0प्र0)